FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0077 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/05/2024 21:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 06/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 09/05/2024

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 12:57 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/05/2024 **Time (समय):** 19:15 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/05/2024 21:20:52 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 58 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT, LASADIYA OFFICE, DUDU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SANTOSH YADAV

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LATE CHHOTU RAM YADAV

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LASADIYA, GADDUDA GRAM PANCHAYAT, DUDU, PHAGI, दूदू, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LASADIYA, GADDUDA GRAM PANCHAYAT, DUDU, PHAGI, दूदू, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9001136960

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VISHRAM GURJAR		पिता:NANDARAM GURJAR	1. GURJARO KA MOHALLA, LASADIYA DUDU,PHAGI,दूदू, RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 06.05.2024 को उच्चाकारियों के मार्फत परिवादिया सुश्री संतोष यादव, माता सीतादेवी व भाई रामलाल के मन् निरीक्षक पुलिस को लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि " सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विषय - रिस्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाने बाबत, महोदय निवेदन है की मेरे पिता जी श्री छोटूराम यादव का देहान्त दिनांक 07.11.2018 को हो गया था। मेरे पिताजी की सरम विभाग से सरिमेक डायरी बनि हु थी, जीसके लिए मेरी माता श्रीमती सीता देवी कि तरफ से हमारे गांव के पंचायत भवन में संचालित ईमित्र (संचालनकर्ता विश्राम गुर्जर) से क्लेम के लिए 2019 में आवेदन किया गया था। जीसके लिए ईमित्र वाला विश्राम गुर्जर ने मेरी माता सीता देवी से 1,50,000 रिसवत के लिए है, वह 2,50,000 रूपये की पहली किस्त माता जी के खाते में 18.03.2024 को डाल दिया, शेष 2,50,000 रूपये के क्लेम का भुगतान करने के बदले एक लाख की मांग रहा हैं। मेरे पिता जी की मूल सरमिक डायरी व बैंक पास बुक भी विश्राम गुर्जर ने अपने पास रखी हुई हैं, जो हमे नहीं दे रहा हैं। उक्त रूपये की मांग विश्राम गुर्जर अपने पिता जी नन्दाराम गुर्जर के मादम से कर रा हे, पहले वाले 1,50,000 रूपये भी अपने पिता जी के माध्यम से लिया था। हमारी विश्राम गुर्जर से कोई रंजिस नहीं हैं ना ही कोई लेन देन बकाया हैं, हम विश्राम गुर्जर वह उसके पिता नन्दाराम गुर्जर को रिसवत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहते हैं। दिनंाक 6.05.2024 प्रार्थीया संतोष, संतोष यादव पुत्री छोटूराम यादव, फागी, गडुडा लसाडिया थाना फागी, जिला दूदू। मो.न. 9001136960, उक्त लिखित रिपोर्ट के सबंध में दरियाफ्त पर परिवादिया संतोष यादव ने बताया कि मैं बारहवीं तक पढी लिखी हूं, उपरोक्त रिपोर्ट मेरी स्वयं की लिखी हुई हैं। मेरे पिता श्री छोटूराम का वर्ष 07.11.2018 को देहांत हो गया था। जिनकी श्रम विभाग से श्रमिक डायरी बनी हुई थी, तो क्लेम के लिए मैनें मेरी माता सीता देवी व भाई रामलाल ने हमारे गांव की पंचायत भवन में ईमित्र चला रहे विश्राम गुर्जर से सम्पर्क किया तो विश्राम गुर्जर ने मेरे पिता की मूल श्रमिक डायरी व मेरी माता की बैंक पासबुक मांगी जो हमने उपलब्ध करवा दी थी। विश्राम गुर्जर ने वर्ष 2021 में अपने पिता श्री नन्दाराम गुर्जर के माध्यम से मेरे व मेरी माता श्रीमती सीतादेवी से पहली किश्त ढाई लाख रूपये का भुगतान करने के बदले 1,50,000 रूपये की मांग की। उस समय मेरी पिताजी की मृत्यु के बाद हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, मेरी माता अनपढ हैं और मेरा भाई रामलाल मुझसे भी छोटा हैं, इसलिए हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी तो हमने वर्ष 2021 में विश्राम गुर्जर के पिता नन्दाराम गुर्जर को दबाव में 1,50,000 रूपये दिये थे। इस लेन-देन के सम्बन्ध में मेरे पास ऑडियो विडियो रिकॉर्डिग है जो मैं बाद में पेश कर दुंगी। जिस पर दिनांक 18.03.2024 को मेरी माता सीतादेवी के खाते में 2,50,000 का भुगतान आ गया तो हमने शेष 2,50,000 रूपये के भुगतान के लिए विश्राम गुर्जर से सम्पर्क किया तो विश्राम गुर्जर ने एक लाख रूपये और मागंs व कहा कि एक लाख रूपये देने के बाद आपको ढाई लाख रूपये का भुगतान मैं करवा दूंगा। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतने रूपये नहीं हैं इसलिए हमनें विश्राम गुर्जर को कम करने के लिए कहां तो विश्राम गुर्जर ने एक लाख रूपये से कम के लिए मना कर दिया व कहा कि आद्यू-आध का हिसाब होता हैं। पूरे क्लेम राशि का आधा मैं लेता हूं, मुझे उपर अधिकारियों को भी देना पडता हैं, जिस पर हमने विश्राम गुर्जर से पूछा कि आप अधिकारी का नाम पता बता दो, हम उस अधिकारी से मिलके हमारे भुगतान करने के लिए निवेदन कर लेगें क्यांs कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास और रूपये नहीं हैं। परन्तु विश्राम गंqर्जर ने अधिकारी का नाम पता बताने के लिए मना कर दिया। अब विश्राम गुर्जर शेष क्लेम राशि 2,50,000 रूपये का भुगतान करने की एवज में 1,00,000 रूपये की रिश्वत मांग रहा हैं। विश्राम गुर्जर या तो खुद या अपने पिताजी नन्दाराम गुर्जर के माध्यम से रिश्वत प्राप्त करेगा। हम विश्राम गुर्जर व उसके पिता नन्दाराम गुर्जर को रिश्वत लेते हुए रगंs हाथों पकडवाना चाहते हैं। हमारी विश्राम गुर्जर व उसके पिता नन्दाराम से ना कोई दुश्मनी हैं ना ही कोई लेन देन बकाया हैं। परिवादिया संतोष यादव, माता श्रीमती सीता देवी व भाई रामलाल द्वारा अपने अपने आधार कार्ड की फोटोप्रति तथा परिवादिया संतोष यादव द्वारा अपने पिता छोटूराम यादव के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति पेश की जिन्हैं बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई। परिवादिया संतोष यादव को क्लेम हेतु किये गये आवेदन/दस्तावेजात पेश करने हेतु कहां गया तो तीनो ने बताया कि विश्राम गुर्जर ने मेरे पिता की मूल श्रमिक डायरी व मेरी माता की बैंक पासबुक अपने पास रखी हुई हैं, जिससे हमने क्लेम आवेदन का रिकॉर्ड मांगा तो कहा कि मैं अपने आप भुगतान करवा दूंगा आपको आवेदन के रिकॉर्ड की कोई जरूरत नहीं हैं। विश्राम गुर्जर ने हमें क्लेम की फाईल से संबंधित कोई दस्तावेजात हमारे बार बार मागंने पर

भी नहीं दिये, उसने मेरे पिता की क्लेम की फाईल ख्qद के पास रखी हुई हैं। " तत्पश्चात परिवादिया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन तथा मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत मांग का पाया जाता हैं जिसका मांग सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। जिस हेतु कार्यालय हाजा में उपस्थित श्री रमजान कानि0 नं0 466 को तलब कर कार्यालय की आलमारी से विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा एक खाली (नया) मेमोरी कार्ड (32 जीबी सनडिस्क कम्पनी का) मंगवाया गया, तत्पश्चात परिवादिया संतोष यादव, उसकी माता श्रीमती सीतादेवी व भाई रामलाल का कानि0 श्री रमजान कानि0 नं0 466 का आपस में परिचय करवाया जाकर मोबाईल नम्बर आदान प्रदान करवाये गये तथा परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से कानि0 श्री रमजान कानि0 नं0 466 को अवगत कराया गया। तत्पश्चात परिवादिया को विभागीय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की आवश्यक समझाईस कर उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में एक नया मेमोरी कार्ड लगाया गया, बाद उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर तथा मेमोरी कार्ड दोनों को परिवादी पक्ष के समक्ष खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी पक्ष तथा कानि0 दोनों को दिखाया गया। जिस पर परिवादिया संतोष यादव ने बताया कि मैं जब भी क्लेम राशि के भुगतान के लिए विश्राम गुर्जर से बातचीत करूंगी तो वह अवश्य ही एक लाख रूपये की रिश्वत की मांग करेगा। जिस पर श्री रमजान कानि. 466 को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु लसाड़िया भेजकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन से संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादिया के पिताजी के क्लेम की शेष राशि 2,50,000 रूपये का भुगतान करवाने की एवज में 1,00,000 रूपये की रिश्वत की मांग करना पाया गया। परिवादिया द्वारा भी उक्त तथ्यों की पुष्टि की गई। जिस पर परिवादिया को रिश्वत मांग के अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री कमलेश हैड कानि0 74 से क्रमशः श्री मनोज कुमार जैन व श्री खेमराज मीणा, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर को पाबंद करवाया जाकर उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 09.05.2024 को प्रातः 08ः00 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई। दिनांक 09.05.2024 को कार्यालय स्टॉफ उपस्थित आया तथा परिवादियां सुश्री संतोष यादव अपने भाई श्री रामलाल के साथ उपस्थित कार्यालय आयी जिनको कार्यालय कक्ष में बैठाया गया। इसी दौरान स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार जैन व खेमराज मीणा उपस्थित कार्यालय आये, जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो एक ने श्री खेमराज मीणा पुत्र श्री मोहन सिंह मीणा, जाति- मीणा, उम्र-42, निवासी- प्लाट नं0 408, शान्ति नगर दुर्गापुरा जयपुर हाल- कनिष्ठ अभियंता, उपायुक्त जोन-9, एवं अधिशाषी अभियंता-9 प्रकोष्ठ जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, मो0न0 9468679545 तथा दूसरे ने अपना नाम श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन जाति- जैन, उम्र- 40 साल, निवासी- 337ए, पशुपतिनाथ नगर, प्रतापनगर जयपुर, हाल- कनिष्ठ अभियंता, अधिशाषी अभियंता-11 (द्रव्यवती नदी परियोजना)प्रकोष्ठ, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, मो0न0 9549789555 होना बताया। तत्पश्चात् उपस्थित दोनों गवाहान श्री खेमराज मीणा एवं मनोज कुमार जैन को गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने के प्रयोजन के बारे में बताकर उनका परिचय कार्यालय उपस्थित परिवादिया संतोष यादव व उसके भाई रामलाल से करवाया गया। परिवादियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढ़कर स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर उसमें रिकॉर्ड परिवादिया एवं संदिग्ध के मध्य दिनांक 06.05.2024 को रिश्वत राशि मांग सम्बन्धी वार्ता, को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से दोनों गवाहान को सरसरी तौर पर सुनाई गई। दोनों गवाहान ने परिवादिया व उसके भाई से बातचीत कर उसकी शिकायत एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सन्तुष्ट होकर स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की मौखिक सहमति प्रदान की। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त गवाहान के समक्ष परिवादिया सुश्री संतोष यादव को बमौजूदगी महिला कानि0 निधि के समक्ष रिश्वती राशि मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश करने बाबत कहा तो परिवादिया ने बताया कि संदिग्ध श्री विश्राम गुर्जर द्वारा दिनांक 06.05.2024 को एक लाख रूपये बतौर रिश्वत मांगने के बाद, हमने पैसो की व्यवस्था करनी चाही लेकिन अब तक हम 30,000 रूपये की ही व्यवस्था कर सके हैं, हम और रूपयों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। हमने सुना हैं तथा अखबारों में भी पढा हैं कि एसीबी की कार्यवाही में डमी करेंसी का भी उपयोग हो सकता हैं, तो इसलिए हम 500-500 रूपये के 70,000 रूपये की डमी करेंसी की व्यवस्था करके लाये हैं। उक्त राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 60 नोट राशि 30,000 तथा 500-500 रूपये (भारतीय मनोरजन बैंक) के 140 डमी नोट कुल राशि 70,000 इस प्रकार कुल राशि 1,00,000 रूपये को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किया जिस पर रिश्वत राशि के रूप में दिये जाने वाली राशि 30,000 रूपये (भारतीय मुद्रा) के नोटो के नम्बरो का विवरण निम्न प्रकार पाया गया- 1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9GP632005 2. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3MN685091 3. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8FN953794 4. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DF131892 5. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1MN465187 6. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3DQ671200 7. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7EE454764 8. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5NQ156653 9. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6FG902104 10. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9UE877874 11. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी

1BA113867 12. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5QM066543 13. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3QV253417 14. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5HQ385407 15. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3HG267629 16. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2VQ248214 17. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4EM878522 18. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6CF474083 19. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8DA558952 20. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4TG898269 21. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7KN354090 22. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0MR753783 23. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6GA782706 24. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6AC872691 25. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5NS159057 26. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3CV048432 27. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3SN726370 28. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5HM115977 29. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9EG312940 30. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8UD188449 31. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3LU097567 32. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 3FD913138 33. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8BM912348 34. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9VG382909 35. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4DD271176 36. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 9MM302826 37. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2TT283109 38. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EU992731 39. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0RT171979 40. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0TD587344 41. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5PT627057 42. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8NN435201 43. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2DQ994154 44. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 0UV237500 45. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5HN976461 46. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8KW502897 47. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7NS106431 48. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 4UU306000 49. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6BM875141 50. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8GW588036 51. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6PT076824 52. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6MA567089 53. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6GV142475 54. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 7DH910275 55. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 8AR949484 56. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6NR725851 57. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 1AU081708 58. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 5GH809638 59. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 6EW317174 60. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी 2TN020499 उपरोक्त के अतिरिक्त 500 रूपये जैसे दिखने वाली डमी करेंसी के कुल 140 नोट कुल राशि 70 हजार रूपये है। उक्त सभी डमी नोटो पर "भारतीय मनोरजंन बैंक" लिखा हुआ हैं। उक्त सभी पर DUK 616850 नम्बर अंकित हैं। उक्त नोटों के नम्बर मन् निरीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटांs के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को सुपुर्द किये जाने हैं। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 140 नोट कुल राशि 70,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने के लिए कार्यालय में उपस्थित श्री कमलेश कुमार हैड कानि.नं.74 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 140 नोट कुल राशि 70,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों तथा उक अखबार पर श्री कमलेश कुमार हैड कानि.नं. 74 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। कार्यालय में पदस्थापित श्रीमती निधि महिला कानि. नं. 86 से परिवादिया सुश्री संतोष यादव की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादिया के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री कमलेश कुमार हैड कानि.नं. 74 से परिवादिया को उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल राशि 30,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 140 नोट कुल राशि 70,000/-रूपये (डमी करेंसी) कुल राशि 1 लाख रूपये जिसमें से प्रचलित भारतीय मुद्रा के 15 नोट डमी करेंसी के नोटों के उपर तथा 45 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के डमी करेंसी के नीचे लगाकर उक्त रिश्वती राशि को पुराने अन्य अखबार में लपेटकर उक्त अखबार पर भी फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। उक्त अखबार सहित रिश्वती राशि को एक पीले रंग की कपडे़ की थैली(कैरीबेग) जिस पर एक तरफ Bobby collection तथा दूसरी तरफ Fashion लिखा हुआ हैं, में डालकर परिवादिया को संदिग्ध आरोपी को देने हेतु सुपुर्द किये गये एवं परिवादिया को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को तब तक नहीं छुयेगी जब तक कि रिश्वत मांगने वाला अधिकारी रिश्वत के रूप में मांग नहीं करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हें देवे। परिवादिया को यह भी हिदायत दी गई कि संदिग्ध अधिकारी उससे रिश्वत की राशि प्राप्त करने के पश्चात कहंk रखता है अथवा कहां छिपाता है, का भी ध्यान रखे और रिश्वत राशि उसे देने से पूर्व एवं बाद में उससे हाथ नहीं मिलावंs, दूर से ही अभिवादन कर लेवें। संदिग्ध आरोपी को रिश्वती राशि देने के बाद वह अपने मोबाइल फोन से मन् निरीक्षक पुलिस के मोबाइल नम्बर 89497-05614 या श्री रमजान अली कानि.नं. 466 के

मोबाईल नं. 9829458232 पर मिसकॉल/फोन कर अथवा अपने सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करें। इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादिया मय अपने भाई रामलाल के आस पास रहकर परिवादिया व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी डालकर उसमें कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे परिवादिया, स्वतंत्र गवाहान एवं सभी उपस्थितगणों ने अपरिवर्तित होना बताया। उक्त गिलास के घोल में श्री कमलेश कुमार हैड कानि.74 के दाहिने हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया। जिस पर परिवादिया व गवाहान को समझाया गया कि यदि संदिग्ध अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटों को छुयेगा तो उसके हाथों में यह पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को वापस कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री कमलेश कुमार हैड कानि.74 के दोनांs हाथांs को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाया। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया, उसे भी जलाकर नष्ट करवाया गया। इसके बाद परिवादिया, उसके भाई, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेपबाक्स में रखी खाली शीशियk, ढक्कन, गिलास चम्मच आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मेरे कार्यालय कक्ष की अलमारी से सुरक्षित बाहर निकालकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाया गया। परिवादिया को छोड़कर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर सभी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। परिवादिया का मोबाईल फोन उसे सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि आवश्यकता पड़ने पर ही अपने फोन से बात करें तथा श्री कमलेश कुमार हैड कानि.74 को कार्यालय में रहने की हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन एवं सुपुर्दगी नोट अलग से तैयार कर सभी सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादिया के भाई श्री रामलाल यादव व श्री रमजान अली,कानि.466 को परिवादिया के भाई की मोटरसाईकिल पर रवाना कर पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीरशरण शर्मा मय परिवादिया सूश्री संतोष यादव, स्वतंत्र गवाहान श्री खेमराज मीणा, मनोज कुमार जैन, मय श्री सुभाष मील हैड कानि0 35, श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री विनोद कानि0 न0 242, श्रीमती निधि महिला कानि.86 मय चालक श्री रोहिताश कानि0 636 के मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 9166 फोर्स टे॰वलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेप बॉक्स के गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर कार्यालय सहकारी समिति ग्राम लसाड़िया तहसील दूदू के पास पहँqचकर गाड़ी को रोड़ के साईड में खड़ी करवाई, तत्पश्चात कुछ समय बाद श्री रमजान अली कानि.466 व परिवादिया का भाई श्री रामलाल यादव हमारे पास उपस्थित आये। जिस पर श्री रमजान अली कानि. व परिवादिया के भाई श्री रामलाल यादव को गाड़ी के अन्दर बुलाया गया। परिवादिया ने कहा कि मैं एक बार संदिग्ध आरोपी को फोन कर पूछ लेती हूं कि संदिग्ध अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय में हैं या घर पर हैं। जिस मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यवाही में रिश्वत मांग सत्यापन के समय काम में लिया गया डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जो ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित हैं, को श्री रमजान अली कानि. से बाहर निकलवाकर परिवादिया व रमजान अली कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया समझाकर श्री रमजान अली कानि. द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर परिवादिया को सुपुर्द कर परिवादिया से संदिग्ध अधिकारी से परिवादिया ने अपने भाई के मोबाईल फोन नं.7737196836 से संदिग्ध अधिकारी के मोबाईल फोन नं. 9680344028 करवाकर परिवादिया के फोन का स्पीकर ऑन करवाया गया लेकिन संदिग्ध अधिकारी द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया गया। तत्पश्चात डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बन्द करवाकर श्री रमजान अली से सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादिया सुश्री संतोष यादव ने बताया कि यहk से ग्राम पंचायत नजदीक हैं आगे इस प्रकार की ट्रेवलर गाडी ले जाने पर मामले की गोपनीयता प्र्रभावित हो सकती हैं। मैं तथा मेरा भाई रामलाल संदिग्ध आरोपी विश्राम गुर्जर के पास यंहा से हमारी मोटरसाईकिल पर जाकर आगे की कार्यवाही करवा सकती हूं जिससे संदिग्ध अधिकारी को कोई संदेह भी नहीं होगा। चूंकि रिश्वत राशि आदान प्रादान को देखने हेतु स्वतंत्र गवाह तथा संदिग्ध अधिकारी की निगरानी हेतु हमराहियान जाब्ते को परिवादिया व परिवादिया के भाई के साथ भिजवाने के लिए हमराहियान जाप्ते में से श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक मय श्री पन्नालाल कानि.09, श्री विनोद कुमार नं. 242 को ग्राम पंचायत कार्यालय लसाड़िया के पास पहुaचकर परिवादिया के इशारे के इन्तजार में मुकिम होने की हिदायत कर रवाना किया। तत्पश्चात समय 12.43 पी.एम. पर परिवादिया को पुनः संदिग्ध आरोपी से मिलने तथा संदिग्ध आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर रिश्वत राशि सुपुर्द करने तथा श्री रमजान कानि0 के मोबाईल पर पूर्व निर्धारित ईशारा करने की हिदायत की गई तथा विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईस कर डिजीटल वाइॅस रिकार्डर परिवादिया को सुपुर्द किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात परिवादिया को उसके भाई के साथ उसकी मोटरसाईकिल से रवाना किया व मन् निरीक्षक पुलिस मय श्री रमजान कानि0, महिला कानि0 श्रीमती निधि, स्वतंत्र गवाहान श्री खेमराज मीणा तथा श्री सुभाष हैडकानि0 के साथ परिवादिया की मोटरसाईकिल के पीछे-पीछे पैदल पैदल

संदिग्ध कर्मचारी के कार्यालय हेतु रवाना हुये। थोडी देर में मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान ग्राम पंचायत लसाडिया, फागी, जिला दूदू के कार्यालय के पास में पहुंचकर अपनी उपस्थिति का छुपाव करते हुये उक्त ग्राम पंचायत कार्यालय भवन के बाहर परिवादिया पर नजर रखते हुये परिवादिया के इंशारे के इंतजार में मुकीम हुआ। परिवादिया के भाई की मोटरसाईकिल ग्राम पंचायत लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू के कार्यालय के बाहर खडी नजर आई। तत्पश्चात् समय 1257 पीएम पर सुश्री संतोष यादव ने अपने मोबाईल नम्बर 8696531552 से श्री रमजान कानि0 466 के मोबाईल नम्बर 9829458232 पर मिस्ड कॉल कर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर श्री रमजान अली कानि0 ने मन् निरीक्षक पुलिस को इशारा किया, तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ते एवं स्वतंत्र गवाहान के साथ कार्यालय ग्राम पंचायत लसाडिया के दाहिनी तरफ बने भवन के हाल से प्रवेश किया, जहां पर हाल के अन्दर बने एक कक्ष के सामने परिवादिया अपने भाई श्री रामलाल के साथ उपस्थित मिली। जहां परिवादिया ने अपने पास से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया, जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादिया ने एक पीले रंग की कपडे़ की थैली(कैरीबेग) जिस पर एक तरफ Bobby collection तथा दूसरी तरफ Fashion लिखा हुआ हैं, को प्रस्तुत कर हॉल में बने उक्त कक्ष के अन्दर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही विश्राम है जो पंचायत का ई-मित्र चलाता है। इसने अभी मुझसे मेरे पिताजी की मृत्यु होने पर श्रम विभाग से मिलने वाले श्रमिक क्लेम की राशि पास करवाने की एवज में 1,00,000/- रूपये लेकर अपने मोबाईल फोन से किसी अधिकारी से मेरे पिताजी श्री छोटूराम जी के क्लेम की एफडी पास करवाने के बारे में बात की हैं तथा फिर यह उक्त थेली में से 1,00,000/- रूपये निकालकर मैंने इनको दे दिये, तब इसने उक्त राशि को अखबार में से निकालकर गिना, थोडे नोटों को गिनने के बाद इसने मनोरंजन बैंक के नोटों को देखकर मेरे को नकली नोट होना बताकर उक्त रूपयों को अपनी टेबल पर रखे प्रिंटर पर रख दिया। इतने में मैंने आपको इशारा कर दिया। इसको नकली नोटों पर शक हो गया था। जिस पर परिवादिया द्वारा प्रस्तुत पीले रंग की कपडे़ की थैली (कैरीबेग) को अपने पास सुरक्षित रखकर परिवादिया के बताये अनुसार संदिग्ध श्री विश्राम को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये पूर्ण परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री विश्राम गुर्जर पुत्र श्री नंदा राम गुर्जर उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 10, गुर्जरों का मोहल्ला, ग्राम लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू हाल संचालक, जय अम्बे दूर्गा, ई-मित्र, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू होना बताया। जिस पर श्री विश्राम गुर्जर को अभी-अभी परिवादिया से ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर उसने मौके पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैंने इससे कोई रूपयों की मांग नहीं की तथा ना ही मैंने लिये है मैंने इस राशि को छुआ तक नहीं है। इन्होंने ही जबरदस्ती मेरे टेबल पर रख दी हैं। मैं मेरे पिताजी को बुला लेता हूं। आपको उनसे बात करवा देता हूं ऐसा बोलकर संदिग्ध श्री विश्राम गुर्जर आवेशित होने लग गया। जिस पर संदिग्ध श्री विश्राम गुर्जर को पुनः समझाईस कर शान्ति से बैठे रहने की हिदायत की गई। मौके पर उपस्थित परिवादिया ने बताया कि यह झूठ बोल रहे है इन्होंने मेरे से रिश्वत राशि लेकर अपने हाथों से गिनी है तथा उक्त रिश्वत राशि में नकली नोट होना बताकर अपनी टेबल पर रखे प्रिंटर पर रख दिये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ओर पुष्टि हेतु सरकारी गाडी से पीने के पानी की बोतल तथा ट्रैप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगणों को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद एक गिलास के मिश्रण में संदिग्ध श्री विश्राम गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में संदिग्ध श्री विश्राम गुर्जर के बांये हाथ की अगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के सामने टेबल पर रखे प्रिन्टर पर एक अखबार में रखे हुये 500-500 रूपये के नोटों के बंडल की ओर ईशारा कर परिवादिया ने बताया कि यह विश्राम गुर्जर ने ही रखे है, मैंने इनको छुआ तक नहीं है। तत्पश्चात् आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के समक्ष उसके ई-मित्र कक्ष की टेबल पर रखे प्रिंटर पर एक अखबार में रखे 500-500 रूपये के नोटों को दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाया जाकर गिनवाया गया तो आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के ई-मित्र कक्ष की टेबल पर रखे प्रिंटर EPSON L3110 पर एक अखबार में से 500-500 रूपये के 60 नोट (भारतीय चलन मुद्रा) राशि 30,000/-रूपये तथा 500-500 रूपये (भारतीय मनोरजन बैंक) के 140 डमी नोट उक्त सभी पर DUK 616850 नम्बर अंकित है, कुल डमी नोट राशि 70,000/- इस प्रकार कुल राशि 1,00,000 रूपये बरामद हुये, जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से पुनः चैक करवाकर उक्त नोटांs के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के ई-मित्र कक्ष की टेबल पर रखे प्रिंटर के उपर (जिस स्थान पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर द्वारा रिश्वत राशि रखी गई) का प्रक्रियानुसार एक कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट के घोल में एक सफेद कपडे की चिंदी की सहायता से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। धोवन को दो साफ कांच

की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क PT-1 व PT-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। धोवन में उपयोग में ली गई कपडे की चिन्दी को सुखाकर एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का- C अंकित किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के ई-मित्र जय अम्बे दूर्गा के कक्ष की टेबल पर रखे प्रिंटर EPSON L3110 (जिस स्थान पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर द्वारा रिश्वत राशि रखी गई) को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर एक सफेद कपडे की थेली में सील्ड मोहर कर मार्का PR अंकित किया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के कब्जे से उसके ई-मित्र जय अम्बे दूर्गा के कक्ष की टेबल पर रखे प्रिंटर से बरामदशुदा रिश्वती राशि (भारतीय चलन मुद्रा) राशि 30,000/-रूपये तथा 500-500 रूपये (भारतीय मनोरजन बैंक) के 140 डमी नोट कुल राशि 70,000/- इस प्रकार कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा अखबार के पृष्ठ (जिसमें उक्त रिश्वत राशि रखी हुई थी) एवं पूर्व में परिवादिया द्वारा प्रस्तुत एक पीले रंग की कपडे़ की थैली(कैरीबेग) जिस पर एक तरफ ठवइइल Bobby collection तथा दूसरी तरफ Fashion लिखा हुआ हैं, को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि परिवादिया ने अवगत कराया कि आरोपी श्री विश्राम गुर्जर ने अभी अपने मोबाईल से मेरे पिताजी की मृत्यु की क्लेम राशि श्रम विभाग से पास करवाने के लिये किसी अन्य से फोन पर वार्ता की है। जिस पर स्ततंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को अभी-अभी परिवादिया के कार्य के लिये किससे बात की है के बारे में पूछने पर उसने बताया कि मैंने इनके काम के लिये किसी से बात नहीं की है। जिस पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को परिवादिया के पिता की क्लेम राशि हुये आवेदन के सम्बंध में पूछने पर श्री विश्राम गुर्जर ने बताया कि मैंने इनका कोई आवेदन नहीं किया है इनका आवेदन पहले से हो रखा है मैने इनके आवेदन के सम्बंध में इनसे कभी कोई दस्तावेज भी नहीं लिया है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादिया सुश्री संतोष यादव ने बताया कि इन्होने मेरे से पूर्व में मेरे माता श्रीमती सीतादेवी तथा पिताजी श्री छोटू यादव का श्रमिक कार्ड ले रखा है यह झूठ बोल रहे है। जिस पर पुनः श्री विश्राम गुर्जर को तसल्ली देकर परिवादिया द्वारा पूर्व में दिये गये अपने माता-पिता के श्रमिक कार्ड के बारे में पूछा तो आरोपी श्री विश्राम गुर्जर ने कहा कि यही ई-मित्र कक्ष मे रखे हुये होंगे, आप ढुंढ लो, मेरे को पता नहीं है जिस पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के समक्ष तथा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थित में आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के ई-मित्र कक्ष की टेबल के ड्रॉवर की तलाशी ली तो उसमें कई लोगों के आधार कार्ड/श्रमिक कार्ड तथा 12,910/- रूपये बरामद हुये। उक्त राशि को स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार जैन से पुनः गिनवायी जाकर अपने पास सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। तत्पश्चात् उक्त ड्रॉवर में मिले कार्डों को देखने पर उसमें आरोपी श्री विश्राम गुर्जर का आधार कार्ड नम्बर 818379411462 तथा परिवादिया की माता श्रीमती सीमादेवी का श्रमिक कार्ड नम्बर B 14/2016/0210770 तथा परिवादिया के पिता श्री छोटू यादव का श्रमिक कार्ड नम्बर B 14/2016/0210297 बरामद हुये। जिनको परिवादिया ने देखकर बताया कि उक्त दोनों कार्ड मेरे माता-पिता के ही है। तत्पश्चात् आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को परिवादिया के पिता के क्लेम हेतु किये गये आवेदन की प्रति तथा अन्य दस्तोवजात के लिये कहने पर उसने बताया कि इससे सम्बंधित दस्तावेजात न तो मेरे पास है ना ही मेरे ई-मित्र कार्यालय में है। चूंकि मौके पर लोगों की भीड ज्यादा एकत्र होने लग गई है तथा आरोपी श्री विश्राम गुर्जर का मकान भी पास में ही होना ज्ञात हुआ है। इसलिये मौके पर भीड-भाड की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराकर निर्देशानुसार स्थानीय थानाधिकारी पुलिस थाना फागी से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर मौके पर जाब्ता पहुंचाने हेतु कहा गया। परिवादिया ने पूर्व में अवगत कराया कि आरोपी श्री विश्राम गुर्जर ने मेरे पिताजी की मृत्यु की श्रमिक विभाग से क्लेम राशि पास करवाने की एवज में किसी अन्य व्यक्ति से वार्ता की है जिसकी पुष्टि के लिये मन् निरीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री विश्राम गुर्जर से उसका मोबाईल फोन प्रस्तुत करने की कहने पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर ने पहले तो अपना मोबाईल फोन देने से इंकार कर दिया परन्तु बाद में समझाईस करने पर उसने अपना मोबाईल फोन प्रस्तुत किया जिसमें डायल नम्बरों में आखिरी आउटगोईंग कॉल को चेक किया तो उसमें Dharmpal ji के नाम से सेव मोबाईल नम्बर 9799478830 से समय 1255 पीएम पर कॉल होकर 02 मिनट 03 सेकण्ड वार्ता होना पाई गई। उक्त श्री धर्मपाल जी के सम्बंध में आरोपी श्री विश्राम गुर्जर ने मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि वह सरकारी ठेकेदार है जिससे मैंने बात की थी। जिस पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को उक्त सरकारी ठेकेदार परिवादिया के कार्य से किस प्रकार सम्बंधित है तथा वह उक्त श्रम विभाग से किस प्रकार क्लेम की राशि दिलवा सकता है के सम्बंध में पूछा तो आरोपी श्री विश्राम गुर्जर ने बताया कि मैंने तो ऐसे ही उससे बात की थी मेरे को नहीं पता की वह कैसे करवा सकता है। जिस पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को सही-सही बताने तथा सहयोग करने के लिये कहा गया तो आरोपी ने पूर्व में बताई बात ही ताईद की, इससे लगता है कि आरोपी तथ्य छुपा रहा है तथा इस सम्बंध में कोई तथ्य नहीं बताकर वह सहयोग नहीं कर रहा है। इसी दौरान श्री मनोज, निरीक्षक पुलिस, थानाधिकारी पुलिस थाना फागी जिला दूदू मौके पर उपस्थित आये। जिनको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपने आने के प्रयोजन के बारे में बताकर अब तक की गई कार्यवाही के सम्बंध में अवगत कराया। तत्पश्चात् अब तक की गई कार्यवाही के सम्बंध में उच्चाधिकारियों को निवेदन कर मौके पर स्थानीय लोगों की भीड¬भाड़ के होने के सम्बंध में अवगत कराया गया। तत्पश्चात उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही निकटवर्ती पुलिस थाना फागी पहुंचकर सम्पन्न करने के निर्देश

दिये गये। जिस पर अब तक की कार्यवाही में जब्त रिश्वत राशि, जब्तशुदा आर्टिकल्स आदि को ट्रेपबॉक्स में रखवाया गया। आरोपी श्री विश्राम गुर्जर से उसके ई-मित्र के कक्ष को बंद करवाया गया। उक्त की चाबी कानि. श्री विनोद कुमार को सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द की गई। आरोपी श्री विश्राम गुर्जर का मोबाईल फोन तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादिया के भाई श्री रामलाल को मोटरसाईकिल से पुलिस थाना फागी पहुंचने की हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता मय परिवादिया मय स्वतंत्र गवाहान के आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को हमराह लेकर सरकारी वाहन से थानाधिकारी पुलिस थाना फागी के वाहन के साथ-साथ मौके से पुलिस थाना फागी पहुंचा। परिवादिया का भाई भी अपनी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना फागी पर उपस्थित आया। जहां पर थानाधिकारी पुलिस थाना फागी को कार्य हेतु अलग कक्ष उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में कार्य सम्पादित करने हेतु कहा। जिस पर हमराहियान जाब्ते से ट्रेप बॉक्स, प्रिंटर, आदि निकलवाये जाकर तथा आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को थानाधिकारी कार्यालय में बिठाया जाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना आरम्भ किया गया। तत्पश्चात परिवादिया सुश्री संतोष यादव को पूछने पर उसने बताया कि मेरे पिता श्री छोटूराम यादव की 07.11.2018 में सांप काटने से मृत्यु हो गई थी। जिस पर हमने 2019 में श्रम विभाग से ग्राम पंचायत लसाडिया के ई-मित्र से क्लेम हेतु आवेदन किया था। उक्त आवेदन आरोपी श्री विश्राम गुर्जर द्वारा किया गया था। उक्त आवेदन पर हमें 2,50,000/- रूपये दिनांक 18 मार्च 2024 को मिल गये थे और 2,50,000/- रूपये अभी मिलना शेष है। उक्त शेष राशि पास करवाने की एवज में आरोपी श्री विश्राम गुर्जर मेरे से रिश्वत मांग रहा था। हमने विश्राम को श्रम विभाग के अधिकारियों के बारे मे पूछा तो उसने नाम पता बताने से इंकार कर कहा कि मैं आपको उनका नाम बता दूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। मेरा राशि का आधा हिस्सा बनता है आधा मुझे देने के बाद मैं आपको क्लेम दिलवा दूंगा। तत्पश्चात् दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री विश्राम गुर्जर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैंने सुश्री संतोष यादव से आज कोई राशि नहीं ली है। आज इनके क्लेम के सम्बंध में मेरी धर्मपाल जी से बात हुई थी जो मेरे दोस्त है वह ठेकेदार है सरकारी स्कूल की ठेकेदारी करते है वह लधाना गांव मे रहते है। जिस पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के मोबाईल से श्री धर्मपाल जी के मोबाईल नम्बर 9799478830 से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर पुलिस थाना फागी पहुंचने हेतु कहा गया। आरोपी ने बताया कि यह जय अम्बे दूर्गा ई-मित्र वर्ष 2014 से चला रहा हूं। इस ई-मित्र का संचालन मैं ही करता हूं तथा मेरे ही नाम पर यह रजिस्टर्ड है। मेरा ई-मित्र सॉफ्टेक कम्पनी के माध्यम से अधिकृत है। जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर मेरे को अभी याद नहीं है। हमारे को राज्य सरकार से कमीशन के तौर पर राशि मिलती है। हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति का कोई दस्तावेज (यथा मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि) तैयार करने के बाद उक्त दस्तावेज के तौर पर कस्टमर द्वारा दी गई राशि का बतौर कमीशन हमारे/ई-मित्र संचालक को राज्य सरकार से राशि मुहैया करवायी जाती है। जिस पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को परिवादिया सुश्री संतोष यादव से पहचान होने के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि मैं इनको पहचानता हूं यह अपने पिता के श्रम विभाग के क्लेम पास करवाने के लिये मेरे पास आती रहती है। इन्होंने पूर्व में अभी श्रम विभाग में आवेदन कर रखा है। इनको 5,00,000/- रूपये का क्लेम मिलना है। इनको 2,50,000/- रूपये का क्लेम मिल चुका है तथा 2,50,000/- रूपये मिलना शेष है। परिवादिया के माता-पिता के श्रमिक कार्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी श्री विश्राम गुर्जर ने बताया कि यह रिन्यूअल करवाने के लिये मुझे सुश्री संतोष यादव ने दिये थे। इन कार्डाs को पांच साल में रिन्यूअल करवाना पडता है। इनको दिये हुये काफी समय हो चुका है। तत्पश्चात् आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के ई-मित्र के कक्ष की टेबल के ड्रॉवर से बरामद आरोपी के आधार कार्ड तथा परिवादिया के माता-पिता के श्रमिक कार्ड की फोटोप्रति निकलवाई जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर पुनः सुना गया तो उसमें लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखा गया। स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार जैन ने आरोपी के ई-मित्र कार्यालय की टेबल के ड्रॉवर की तलाशी में पाई गई रिश्वत राशि 12,910 रू. तथा श्री विनोद कुमार ने आरोपी के ई-मित्र की चाबी सुपुर्द की। उक्त को ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित रखवाया गया। अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री विश्राम गुर्जर, ग्राम पंचायत लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू के कार्यालय में संचालित जय अम्बे दूर्गा नाम से ई-मित्र का संचालन करना पाया गया है जो फर्म सॉफ्टेक जोधपुर से रजिस्टर्ड है तथा उक्त ई-मित्र आरोपी श्री विश्राम गुर्जर के नाम पर रजिस्टर्ड है। जिसके रजिस्टर्ड नम्बर के-16002269 (राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत) है। आरोपी को उक्त ई-मित्र के माध्यम से राज्य सरकार से बतौर कमीशन राशि प्राप्त होना पाया गया है। आरोपी द्वारा ई-मित्र के जरिये लोक कर्तव्य भी किया जा रहा था। इसलिये आरोपी श्री विश्राम गुर्जर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानानुसार लोकसेवक की श्रेणी में आता है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विश्राम गुर्जर पुत्र श्री नंदा राम गुर्जर उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 10, गुर्जरों का मोहल्ला, ग्राम लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू हाल संचालक, जय अम्बे दूर्गा, ई-मित्र, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादिया के पिता श्री छोटू यादव की सांप काटने से मृत्यु हो जाने पर श्रम विभाग से मिलने वाले श्रमिक क्लेम की शेष राशि 2,50,000/- रूपये पास करवाने की एवज में दिनांक 06.05.2024 को परिवादिया से 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक

09.05.2024 को परिवादिया से 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री विश्राम गुर्जर पुत्र श्री नंदा राम गुर्जर उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 10, गुर्जरों का मोहल्ला, ग्राम लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू हाल संचालक, जय अम्बे दूर्गा, ई-मित्र, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू द्वारा लोकसेवक होते हुये अपने पदीय स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादिया के पिता श्री छोटू यादव की सांप काटने से मृत्यु हो जाने पर श्रम विभाग से मिलने वाले श्रमिक क्लेम की शेष राशि 2,50,000/- रूपये पास करवाने की एवज में दिनांक 06.05.2024 को परिवादिया से 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 09.05.2024 को परिवादिया से 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होना पाया जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपी को उनके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात् मामले में गिरफताशुदा आरोपी श्री विश्राम गुर्जर को श्री रघुवीरशरण निरीक्षक पुलिस मय जाब्ता को सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादिया व उसके भाई रामलाल तथा महिला कानि0 श्रीमती निधि के पुलिस थाना फागी से रवाना होकर कार्यालय ग्राम पंचायत लसाडिया पहुंचकर परिवादिया की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा एवं हालात मौका पृथक से मूर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया। तत्पश्चात मौके से रवाना होकर पुलिस थाना फागी पहुंचा। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक, श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विश्राम गुर्जर, स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार जैन, श्री खेमराज मीणा मय श्री अमित ढाका हैड कानि0 न0 139, श्री सुभाष चंद, हैड कानि. 35, श्री पन्नालाल कानि0 न0 09, श्री विनोद कानि0 न0 242, श्री रमजान कानि0 न0 466, श्रीमती निधि म.कानि.86 चालक श्री रोहिताश कानि0 636 मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 9166 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेपबॉक्स मय जप्तशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के पुलिस थाना फागी जिला दूदू से ब्यूरो मुख्यालय को रवाना हुआ तथा परिवादिया सुश्री संतोष यादव व उसके भाई श्री रामलाल को कल दिनांक 10.05.2024 को सुबह 8.00 ए.एम. पर ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर पहुचने की हिदायत मुनासिब कर रूखसत किया गया उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान जाब्ता, गवाहान तथा गिरफतारशुदा आरोपी मय चालक श्री रोहिताश कानि0 636 मय वाहन सरकारी आरजे 14 पीई 9166 फार्स ट्रेवलर से मय लेपटॉप प्रिन्टर व ट्रेपबॉक्स मय जप्तशुदा आर्टिकल्स, रिश्वती राशि के पुलिस थाना फागी जिला दूदू से रवानाशुदा ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आया। गिरफतारशुदा आरोपी को ब्यूरो मुख्यालय में संचालित मैस में भोजन करवाया जाकर ब्यूरो हाजा के नये भवन में बनी हवालात में बन्द कर रात्रिकालीन निगरानी ड्यूटी श्री मनीष सिंह कानि. 486 की मामूर की जाकर मुनासिब हिदायत दी गई एवं हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। स्वतंत्र गवाहान एव हमराहियान जाप्ता को कल दिनांक 10.05.2024 को प्रातः 08.00 ए.एम पर ब्यूरो मुख्यालय उपस्थित आने मुनासिब हिदायत कर रूखस्त किया गया। दिनांक 10.05.2024 को परिवादिया तथा गवाहान के कार्यालय में उपस्थित आने पर कार्यालय की आलमारी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादिया के समक्ष दिनांक 06.05.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादिया, उसके भाई रामलाल तथा आरोपी के मध्य हुई वार्ता, दिनांक 09.05.2024 रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में परिवादिया तथा आरोपी के मध्य दौराने रिश्वत आदान-प्रदान के समय हुई वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादिया, उसके भाई रामलाल व महिला कानि0 श्रीमती निधि न0 86 के समक्ष उपरोक्त वार्ताओं की लेपटॉप/डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के जरिये चार सी.डी. तैयार कर सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे सनडिस्क के 32 जीबी के मेमौरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से निकालकर सफेद कागज में लपेटकर एक माचिस की डिब्बी में डालकर माचिस की डिब्बी पर टेप चिपकाकर उक्त माचिस की डिब्बी को सफेद कपडें की थैली में रखकर सील मोहर कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्का SD अंकित किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट के दौरान स्थानीय भाषा का हिन्दी रूपान्तरण परिवादिया व उसके भाई से पूछ पूछ कर किया गया। फर्द ट्रांसक्रिप्ट को शामिल पत्रावली किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। उल्लेखनीय हैं कि परिवादिया संतोष यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2024 में तथा मजीद दरियाफ्त पर आरोपी विश्राम गुर्जर द्वारा पूर्व में भी अपने पिता श्री नंदाराम गुर्जर के माध्यम से 1,50,000 रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करने का आरोप लगाया हैं जिस संबंध में परिवादिया द्वारा अपने पास मोबाईल में ऑडियों/विडियों रिकॉर्डिंग उपलब्ध होना व आईन्दा पेश करना अवगत कराया हैं तथा आरोपी विश्राम गुर्जर द्वारा अपने मोबाईल से अपने परिचित धर्मपाल जाट से परिवादियां के पिता स्व. श्री छोटूराम यादव की क्लेम एफडी के संबंध में वार्ता करना फर्द वार्ता रूपान्तरण में पाया गया हैं। अतः उपरोक्त तथ्यो बाबत विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित रहेगा। इस प्रकार आरोपी श्री विश्राम गुर्जर पुत्र श्री नंदा राम गुर्जर उम्र 30 साल निवासी वार्ड नं0 10, गुर्जरों का मोहल्ला, ग्राम लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू हाल संचालक, जय अम्बे दूर्गा, ई-मित्र, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू द्वारा अपनी पदीय

स्थिति का दुरूपयोग कर परिवादिया के पिता श्री छोटू यादव की सांप काटने से मृत्यु हो जाने पर उपर के अधिकारियों से मिलकर उनको कमीशन देकर परिवादिया के पिता का श्रमिक क्लेम पास करवाने के नाम पर श्रम विभाग से मिलने वाले श्रमिक क्लेम की शेष राशि 2,50,000/- रूपये पास करवाने की एवज में दिनांक 06.05.2024 को परिवादिया से 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ मांग करना तथा उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 09.05.2024 को परिवादिया से 1,00,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करना तथा उक्त रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे से बरामद होना पाया जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया हैं। अतः आरोपी श्री विश्राम गुर्जर, संचालक, जय अम्बे दूर्गा, ई-मित्र, कार्यालय ग्राम पंचायत लसाडिया, पंचायत समिति फागी, जिला दूदू व अन्य के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित हैं। (सज्जन कुमार) निरीक्षक पुलिस विशेष अनुसंधान ईकाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर .....कार्यवाही पुलिस.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सज्जन कुमार, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष अनुसंधान ईकाई, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विश्राम गुर्जर पुत्र श्री नन्दाराम गुर्जर, उम्र 30 वर्ष, निवासी वार्ड नं0 10, गुर्जरों का मौहल्ला, ग्राम लसाड़िया, जिला दूदू हाल ई-मित्र संचालक जय अम्बे दुर्गा, ग्राम पंचायत लसाड़िया, पं0 स0 फागी, जिला दूदू के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी श्री नीरज भारद्वाज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 155 पर अंकित है। (रणधीर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 383-85 दिनांक 10.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर। 2 उप महानिरीक्षक पुलिस–मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 3 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर। उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** NEERAJ **Rank**
(जाँच अधिकारी का नाम): BHARDWAJ **(पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Randhir Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/05/2024 21:24:58

Name(नाम): Randheer Singh

Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1994				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)